20/6/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं है। प्रार्थी की ओर से वकील श्री रामस्वरूप धाकड़ ने वकालतनामा पेश किया। वकील प्रार्थी को 3 बार रूक-रूक कर आवाजें लगवायी गई। लेकिन न तो प्रार्थी और न ही वकील प्रार्थी कोई भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। अतः न्यायालय इस पत्रावली में कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं होने के कारण प्रकरण को खारिज किया जाना उचित समझता है। अतः पत्रावली अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
केशवरां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.01.30 11:16:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner